न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 211/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्रीमती शैफाली दत्त, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री गजेंद्र सिंह निवासी रजत पथ, मानसरोवर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर शहर श्रीमती शैफाली दत्त द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.06.2013 को मय जांच दल के आई.ओ.सी. प्रबन्धक श्री राजेश मीणा द्वारा जिला रसद कार्यालय में दी गई सूचना पर त्रिवेणी गैस सर्विस, त्रिवेणी नगर, जयपुर पर पंहुचे। वहां पर त्रिवेणी गैस सर्विस के मैनेजर व आईओसी के प्रबन्धक मौजूद थे। आईओसी के प्रबन्धक श्री मीणा ने अवगत कराया कि उसी दिन जब वे एनरुट एसक्यूसी थे और आई. आई.एस. स्कूल, शिप्रा पथ, मानसरोवर के पास थे तो एक व्यक्ति साईकिल पर 3 घरेलू सिलेण्डर लेकर जा रहा था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गजेन्द्र सिंह और त्रिवेणी गैस सर्विस का सैल्समेन होना बताया। त्रिवेणी गैस सर्विस से मालूम करने पर उन्होंने बताया कि उनके यहां गजेन्द्र नाम का कोई सैल्समेन काम नहीं करता। फिर गजेन्द ने स्वयं तेज एन्टरप्राइजेज का हॉकर होना बताया। तेज एन्टरप्राइजेज से मालूम करने पर उन्होंने बताया कि उनके यहां गजेन्द्र नाम का कोई सैल्समेन काम नहीं करता। प्रबन्धक ने बताया कि गजेन्द्र सिंह के पास कोई केश मीमो, आई.डी., वेईंग स्केल, सोल्टर मशीन आदि नहीं मिले व सिलेण्डर बाबत गजेन्द्र सिंह द्वारा कोई कागजात व स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया गया। आई.ओ.सी. के प्रबन्धक द्वारा उक्त तीनों सिलेण्डर जब्त कर सुपुर्दगी हेतु मैसर्स त्रिवेणी गैस सर्विस पर लाया जा रहा था तो गजेन्द्र सिंह रास्ते में ही साईकिल सहित भाग गया और सिलेण्डर छोड गया। ऐसी स्थिति में उक्त 3 भरे हुए सिलेण्डर जब्त कर फर्द मौका, सुपुर्दगीनामा, एनरुट एसक्यूसी आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए कि अप्रार्थी का पता पूर्ण नहीं है। ऐसे में पुनः रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो अपूर्ण पते की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हुए है। ऐसे में अभियुक्त आरोपी को तामील नोटिस तलबी नहीं हो सकते। पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि कार्यवाही के दौरान अभियुक्त भाग गया था। ऐसे में उसके पूर्ण पते की जानकारी भी नहीं हो सकी थी। अतः प्रकरण लम्बे समय तक लम्बित रखना उचित नहीं समझते। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

इस प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दिनांक 12.06.2013 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों को अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए कि अप्रार्थी का पता पूर्ण नहीं है। ऐसे में पुनः रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो अपूर्ण पते की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हुए है। ऐसे में अभियुक्त आरोपी को तामील नोटिस तलबी नहीं हो सकते। पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि कार्यवाही के दौरान अभियुक्त भाग गया था। इससे अभियुक्त के पूर्ण पते की जानकारी भी नही मिली। जब्तशुदा सामग्री के लिये आज तक अप्रार्थी या किसी अन्य के द्वारा क्लेम नहीं किया जाना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी आगे भी इसमें कोई पक्ष नहीं रखना चाहता है। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डरों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर पेश नहीं किये। मौके से अप्रार्थी के भाग जाने से भी उसके दोष की पुष्टी होती है। अतः उक्त कृत्य एलपीजी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7(1)(ए)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 3 घरेलू सिलेण्डर भरे हुए को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
(तृतीय) जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।